साउथ इंडिया विस्कोस लिमिटेड

बनाम

तमिलनाडु राज्य

22 जुलाई, 1981

[आर. एस. पाठक और ई. एस. वेंकटरमैया, न्यायमूर्तिगण]

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 — धारा 3(क) — परिसीमा — तमिलनाडु में विनिर्मित माल, जो बंबई में एक अभिकर्ता के माध्यम से पड़ोसी अन्य राज्यों के क्रेताओं को बेचा गया — वितरण प्रणाली के अधीन दृढ़ संविदा, क्रेताओं को माल की आपूर्ति के पश्चात् पूर्ण हुई — विक्रय का स्थान — क्या ऐसा विक्रय धारा 3(क) के अधीन केंद्रीय बिक्री कर को आकर्षित करता है।

देशी कृत्रिम रेशम के धागे के आवंटन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने कृत्रिम रेशम का धागा वितरण समिति का गठन किया, जिसने व्यक्तिगत बुनकरों को आवंटन-पत्र जारी किए। उक्त पत्र की शर्तों के अनुसार, आवंटी द्वारा निर्माता से संपर्क किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना, निर्माता को पत्र के आवंटन की तिथि से सात दिनों के भीतर तथा पत्र के आवंटन की तिथि से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर, आवंटी को कृत्रिम रेशम के धागे की पेशकश करनी होती थी; और सूत की आपूर्ति के लिए एक दृढ़ संविदा पूर्ण की जानी होती थी।

अपीलकर्ता, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित अपने कारखाने में कृत्रिम रेशम के धागे का एक निर्माता था, ने महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के आवंटन-पत्रधारकों को बंबई स्थित अपने विक्रय अभिकर्ता के माध्यम से उस स्थान पर माल का परिदान करके सूत की आपूर्ति की।

माल पर केंद्रीय बिक्री कर की देयता के प्रश्न पर अपीलकर्ता ने यह दावा किया कि चूँकि माल को बंबई भेजा जाना अभिकर्ता के अनुरोध पर किया गया था, न कि क्रेता के पक्ष में किसी विक्रय के परिणामस्वरूप, अतः विक्रय बंबई में हुआ था; और द्वितीयतः, चूँकि तमिलनाडु राज्य से बंबई तक माल का संचलन विक्रयों से संबद्ध नहीं था, इसलिए उक्त विक्रय केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3(क) के अर्थ में अंतर्राज्यीय विक्रय नहीं थे।

इस दावे को संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और उसके आदेश को अपील के विभिन्न चरणों में यथावत् बनाए रखा गया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया।

इस प्रश्न पर कि क्या उक्त विक्रय अंतर्राज्यीय विक्रय थे, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया : एक राज्य से दूसरे राज्य को माल का प्रेषण ऐसे विक्रय-संविदा के अनुसरण में किया गया था, जो आवंटन-पत्र की तिथि के कुछ ही दिनों के भीतर क्रेता और विक्रेता के बीच प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व में आ गई थी; अतः उक्त विक्रय एक अंतर्राज्यीय विक्रय था।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3(क) के अर्थ में किसी विक्रय को अंतर्राज्यीय विक्रय गठित करने के लिए माल का विक्रय तथा विक्रय-संविदा के अधीन माल का एक राज्य से दूसरे राज्य तक संचलन, दोनों का सह-अस्तित्व आवश्यक है। जहाँ विक्रय-संविदा तथा उस विक्रय-संविदा के अनुसरण में माल के एक राज्य से दूसरे राज्य तक संचलन के बीच संबंध विद्यमान हो, वहाँ किसी अभिकर्ता का मध्यवर्तन विक्रय के अंतर्राज्यीय स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर सकता। [49 एफ]

वर्तमान वाद में आवंटन-पत्र में यह परिकल्पना की गई थी कि उसके निर्गमन की तिथि से 21 दिनों के भीतर एक विक्रय-संविदा पूर्ण की जानी थी। अभिकर्ता ने अपीलकर्ता से किसी क्रेता को एक निश्चित संख्या में केस प्रेषित करने का अनुरोध किया और ऐसा किया भी गया। ये तथ्य समष्टिगत रूप से यह इंगित करते हैं कि माल को तमिलनाडु स्थित कारखाने से बंबई इस प्रयोजन से परिवहित किया गया था कि उसे आवंटन-पत्र की शर्तों के

अनुसार स्थापित विक्रय-संविदा के परिणामस्वरूप क्रेता को परिदत्त किया जा सके। [49 जी—50 बी; ई]

यह तथ्य कि उक्त संविदा के अनुसरण में वास्तविक विक्रय बाद में संपन्न हुआ, इस लेन-देन को धारा 3(क) के अधीन एक अंतर्राज्यीय विक्रय के रूप में मानने के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि क्रेता को परिदत्त माल का संचलन आवंटन-पत्र की शर्तों के अधीन अस्तित्व में आई विक्रय-संविदा के कारण हुआ था। [51 ई]

अधीनस्थ प्राधिकारियों ने आवंटन-पत्र की शर्तों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि पक्षकारों के मध्य निर्धारित अवधि के भीतर एक विक्रय-संविदा विद्यमान थी। [51 जी]

इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अन्य, (1976) 38 एस. टी. सी. 475, का अनुसरण किया गया।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक करों के सहायक आयुक्त, जमशेदपुर एवं एक अन्य, (1970) 26 एस.टी.सी. 354 तथा *केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य* (1973) 32 एस.टी.सी. 629 को अनुप्रयोज्य अभिनिर्धारित किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1971 की दीवानी अपील सं. 1192-94

सन् 1971 के कर वाद सं. 205 से 207 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 1976 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर *से* : *एस. टी. देसाई, ए. के. वर्मा तथा जे. बी. दादाचंजी*

उत्तरदाता की ओर *से* : *ए. के. सेन तथा ए. वी. रंगम*

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति वेंकटरमैया द्वारा प्रदत्त । — विशेष अनुमति द्वारा प्रस्तुत इन तीन अपीलों में अपीलकर्ता एक ऐसी कंपनी है, जो कृत्रिम रेशम के धागे के विनिर्माण तथा विक्रय के

व्यवसाय में संलग्न है। उसका कारखाना तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले के सिरुमुगई में स्थित है। अपीलकर्ता कोयम्बटूर में व्यवसाय करने वाले एक व्यौहारी के रूप में पंजीकृत है। अपने व्यवसाय के क्रम में उसने प्रासंगिक अवधि के दौरान कृत्रिम रेशम के धागे की बड़ी मात्राओं का विक्रय विभिन्न क्रेताओं को किया, जिनमें से कुछ महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में निवास करने वाले बुनकर थे। उन्हें 'निर्यात संवर्धन योजना' नामक एक योजना के अधीन कार्ड जारी किए गए थे, जो उन्हें विनिर्दिष्ट निर्माताओं से कृत्रिम रेशम के धागे की निर्दिष्ट मात्राएँ खरीदने का अधिकार प्रदान करते थे। इन अपीलों में अंतर्विष्ट प्रश्न महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के उन निर्यात संवर्धन योजना कार्डधारकों के पक्ष में किए गए विक्रयों की केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) के अधीन करदेयता से संबंधित है।

निर्धारण वर्ष 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 हैं।

ऊपर उल्लिखित कृत्रिम रेशम के धागे के वितरण हेतु निर्यात संवर्धन योजना का विवरण इस प्रकार था : भारत में ऐसे कुछ बुनकर थे, जो विदेशों से कृत्रिम रेशम के धागे के आयात के लिए आयात अनुज्ञप्तियों के रूप में प्रोत्साहन प्राप्त करने के अधिकारी थे। उक्त आयात पात्रता को एक सीमा तक कम कर दिया गया और उन्हें रियायती मूल्य पर देशी कृत्रिम रेशम का धागा आवंटित किया गया। आवंटन की योजना को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 'कृत्रिम रेशम धागा वितरण समिति' नामक एक समिति का गठन किया गया। समिति ने आवंटन-पत्र जारी करके विभिन्न बुनकरों को आवंटन किए। इन आवंटन-पत्रों में आवंटन की मात्रा तथा उस रेयान सूत निर्माता का विवरण अंकित रहता था, जिससे आवंटित मात्रा का सूत प्राप्त किया जा सकता था। पत्र की शर्तों के अनुसार, सूत निर्माता को आवंटी द्वारा उसके पास संपर्क किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना, पत्र की तिथि से सात दिनों के भीतर आवंटी को रेयान सूत की पेशकश करनी थी। सूत की आपूर्ति के लिए एक दृढ़ संविदा पत्र के आवंटन की तिथि से इक्कीस दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण की

जानी थी। यदि आवंटी द्वारा पत्र के आवंटन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर सूत निर्माता के साथ कोई दृढ़ वचनबद्धता नहीं की जाती थी, तो सूत निर्माता को आवंटन-पत्र पर उपयुक्त टिप्पणियाँ अंकित करते हुए तथा पत्र की वापसी के कारणों का स्पष्टीकरण देने वाला एक अग्रेषण-पत्र संलग्न करके, आवंटन-पत्र वितरण समिति को लौटा देना था। यहाँ तक कि आवंटन-पत्र द्वारा आच्छादित कोटे की वास्तविक पूर्ति हो जाने की दशा में भी, सूत का परिदान पूर्ण हो जाने के पश्चात् उक्त पत्र वितरण समिति को लौटा दिया जाना था। संक्षेप में योजना यही थी।

वर्तमान वाद में अपीलकर्ता ने, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, तमिलनाडु राज्य के बाहर निवास करने वाले कुछ आवंटन-पत्रधारकों को कृत्रिम रेशम के धागे की आपूर्ति की थी। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता का बंबई में मेसर्स रेयानयार्न्स इम्पोर्ट कंपनी लिमिटेड नामक एक विक्रय अभिकर्ता तथा वितरक था और अपीलकर्ता का यह कथन था कि उसने महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के आवंटन-पत्रधारकों को उक्त अभिकर्ता के माध्यम से कृत्रिम रेशम के धागे की आपूर्ति की थी तथा माल का परिदान बंबई में किया गया था। सन् 1964-65 के लिए संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोयम्बटूर के समक्ष निर्धारण कार्यवाही में अपीलकर्ता ने यह दावा किया कि बंबई स्थित अपने अभिकर्ता के माध्यम से कृत्रिम रेशम के धागे के किए गए विक्रय, अधिनियम की धारा 3(क) द्वारा परिभाषित अंतर्राज्यीय विक्रय नहीं थे, क्योंकि विचाराधीन माल का तमिलनाडु राज्य से महाराष्ट्र राज्य अथवा गुजरात राज्य तक संचलन, विचाराधीन विक्रयों के कारण नहीं हुआ था और वे वास्तव में ऐसे विक्रय थे जो तमिलनाडु राज्य के बाहर संपन्न हुए थे। संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी ने अपीलकर्ता के उक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया और बंबई स्थित अपीलकर्ता के अभिकर्ता के माध्यम से निर्यात संवर्धन योजना के कार्डधारकों के पक्ष में किए गए विक्रयों को अंतर्राज्यीय विक्रय मानते हुए तदनुसार अधिनियम के अधीन कर अधिरोपित किया। उसने सन् 1962-63 तथा 1963-64 के निर्धारण आदेशों का भी पुनरीक्षण किया और उन वर्षों के दौरान समान प्रकृति

के लेन-देन से संबंधित आवर्त को भी कर के अधीन कर दिया। सन् 1964-65 के निर्धारण आदेश तथा सन् 1962-63 और 1963-64 के पुनरीक्षित निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा अपीलीय सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर), कोयम्बटूर के समक्ष प्रस्तुत अपीलों में संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर दी गई। तत्पश्चात् अपीलकर्ता ने अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपीलों में पारित आदेशों के विरुद्ध तमिलनाडु बिक्री कर अपीलीय अधिकरण (अतिरिक्त पीठ), कोयम्बटूर के समक्ष तीन अपीलें प्रस्तुत कीं। अधिकरण ने भी यह अभिनिर्धारित किया कि तमिलनाडु राज्य के बाहर स्थित निर्यात संवर्धन योजना के कार्डधारकों के पक्ष में किए गए विक्रय अंतर्राज्यीय विक्रय थे और वे अधिनियम के अधीन करारोपणीय थे। अधिकरण के आदेशों से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष तीन पुनरीक्षण याचिकाएँ प्रस्तुत कीं। ये याचिकाएँ खारिज कर दी गईं। इसके पश्चात् अपीलकर्ता विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील में उपस्थित हुआ है।

अधिनियम की धारा 3(क) उपबंधित करती है कि यदि माल का विक्रय अथवा क्रय, माल के एक राज्य से दूसरे राज्य तक संचलन का कारण बनता है, तो ऐसा विक्रय अथवा क्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में संपन्न हुआ माना जाएगा। अपने मामले के समर्थन में अपीलकर्ता ने हमारे समक्ष एक लेन-देन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और यह कहा है कि उक्त लेन-देन की वास्तविक प्रकृति के संबंध में दिया गया निर्णय विवादित अन्य सभी विक्रय-लेन-देन पर भी लागू होगा, क्योंकि वे सभी समान प्रकृति के हैं। वे दस्तावेज गुजरात राज्य के सूरत में स्थित मेसर्स रमेश सिल्क फैब्रिक्स नामक फर्म को जून, 1964 में की गई कृत्रिम रेशम के धागे की आपूर्ति से संबंधित हैं। क्रेता को 7 नवम्बर, 1963 को संख्या 3124 वाला एक आवंटन-पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र के अधीन मेसर्स रमेश सिल्क फैब्रिक्स अपीलकर्ता से 273 किलोग्राम देशी कृत्रिम रेशम के धागे क्रय करने का अधिकारी था। पत्र की प्रासंगिक शर्तें निम्नलिखित थीं :

"1. रेयान सूत निर्माता तथा/अथवा हमारे अनुमोदित व्यौहारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रय की गई मात्रा कार्ड के पृष्ठभाग पर स्तंभ संख्या 4(ख) में दर्शित आवंटित मात्रा से अधिक न हो।

2. रेयान सूत निर्माता, आवंटी द्वारा उसके पास संपर्क किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना, आवंटन-पत्र की तिथि से सात दिनों के भीतर आवंटी को सूत की पेशकश करेगा। सूत की आपूर्ति के लिए संविदा आवंटन-पत्र की तिथि से 21 दिनों के भीतर संपन्न की जाएगी।

3. रेयान सूत निर्माता अथवा उसके अनुमोदित व्यौहारी द्वारा विक्रय की गई सूत की मात्रा का विवरण तथा विक्रय की तिथि कार्ड के स्तंभ (5) में अंकित की जाएगी और उस पर विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।

4. ऐसे किसी आवंटन-पत्र पर कोई आपूर्ति नहीं की जाएगी, जिस पर किए गए संशोधनों का सचिव अथवा प्रबंधक द्वारा अनुप्रमाणन न किया गया हो।

5. यदि आवंटी द्वारा रेयान सूत निर्माता के साथ दृढ़ वचनबद्धता नहीं की जाती है, तो रेयान सूत निर्माता कार्ड पर उपयुक्त टिप्पणियाँ अंकित करते हुए तथा कार्ड लौटाने के कारणों का स्पष्टीकरण देने वाला एक अग्रेषण-पत्र संलग्न करते हुए आवंटन-पत्र को वितरण समिति को लौटा देगा।

6. सूत का परिदान पूर्ण हो जाने के पश्चात् आवंटन-पत्र वितरण समिति को लौटा दिए जाएँगे।"

आवंटन-पत्र के पृष्ठभाग पर स्तंभ 4(क) में अपीलकर्ता को निर्माता के रूप में दर्शाया गया है तथा स्तंभ 4(ख) में आवंटित मात्रा 273 किलोग्राम दर्शाई गई है। आवंटन-पत्र के स्तंभ (5) से यह प्रदर्शित होता है कि बी.सी./132 चालान के अनुसार 268 किलोग्राम मात्रा

की आपूर्ति की गई थी। इसके पश्चात् हमारे समक्ष बी.सी./132 चालान है, जो अपीलकर्ता के अभिकर्ता रेयान-यार्न इम्पोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपीलकर्ता के नाम से तैयार किया गया था तथा जिसे उक्त अभिकर्ता ने अपीलकर्ता की ओर से और उसके लिए हस्ताक्षरित किया था। विक्रय किए गए माल से युक्त केसों पर 5829, 84751 तथा 8505 अंकित थे। चालान में एक टिप्पणी भी अंतर्विष्ट है, जो निम्नवत् है :

> "हमने आपसे 2% केंद्रीय बिक्री कर प्रभारित किया है, जिसके प्रयोजनार्थ आपको विधि में वर्तमान समय के लिए विहित सभी अपेक्षाओं के अनुरूप, सभी दृष्टियों से सही अपना नियमित 'सी' प्रपत्र हमें तत्काल प्रेषित करना अपेक्षित है; अन्यथा आपको रु. .... की शेष राशि, जो प्रभारित दर तथा ऐसे मामलों में लागू 10% की संशोधित दर के मध्य अंतर के बराबर है, हमें प्रेषित करनी होगी।"

किन्तु वास्तव में 2 प्रतिशत कर जोड़ा गया था और उसे चालान में मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से महाराष्ट्र के स्थानीय बिक्री कर के रूप में दर्शाया गया था। अपीलकर्ता की ओर से बंबई स्थित अभिकर्ता द्वारा तैयार किया गया दिनांक 3 जून, 1964 का एक परिदान आदेश भी माल युक्त केसों के क्रमांक 5829, 8479 तथा 8505 का उल्लेख करता है। जिस दस्तावेज का विशेष महत्व है, वह बंबई स्थित अभिकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को लिखा गया दिनांक 23 मई, 1964 का पत्र है। उस पत्र द्वारा अभिकर्ता ने अपीलकर्ता से अनुरोध किया था कि वह कारखाने से सूत के 69 केस, जिन पर विशिष्ट क्रमांक अंकित थे, जिनमें केस क्रमांक 5829, 8479 तथा 8505 भी सम्मिलित थे, प्रेषित करे। उक्त पत्र में आगे यह भी कहा गया था कि माल के अभिकर्ता द्वारा विक्रय किए जाने के पश्चात् विक्रय-चालान भेजे जाएँगे। अपीलकर्ता यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न कर रहा है कि वह समय-समय पर, जैसे-जैसे माल का विनिर्माण होता था, बंबई स्थित अपने अभिकर्ता को उन केसों के क्रमांक सूचित करता था जिनमें माल पैक किया गया था और अभिकर्ता के अनुरोध पर उसने माल को बंबई प्रेषित किया था, किन्तु किसी क्रेता के पक्ष में उक्त माल के किसी विक्रय के

परिणामस्वरूप नहीं। अपीलकर्ता के अनुसार, विक्रय बंबई में संपन्न हुआ था और तमिलनाडु राज्य से बंबई तक माल का संचलन विचाराधीन विक्रय से संबद्ध नहीं था।

अधिनियम की धारा 3(क) में परिभाषित अंतर्राज्यीय विक्रय गठित होने के लिए दो तत्त्वों का सह-अस्तित्व आवश्यक है—(i) माल का विक्रय, तथा (ii) विक्रय-संविदा के अधीन माल का एक राज्य से दूसरे राज्य तक संचलन। यदि विक्रय-संविदा के अधीन दायित्व के निर्वहन के लिए माल के एक राज्य से दूसरे राज्य तक संचलन और विक्रय-संविदा के बीच कोई संबद्धता परिकल्पनीय है, तो विक्रेता के किसी अभिकर्ता का मध्यवर्ती रूप से हस्तक्षेप, जिसके कारण वह संचलन अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाए, विक्रय के अंतर्राज्यीय स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर सकता। इस वाद में जो तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आते हैं, वे निम्नलिखित हैं :

(1) आवंटन-पत्रधारक के पक्ष में अपीलकर्ता द्वारा उत्पादित कृत्रिम रेशम के धागे की एक निश्चित मात्रा का आवंटन;

(2) यह अपेक्षा कि अपीलकर्ता आवंटन-पत्रधारक को आवंटित माल की मात्रा को सात दिनों के भीतर विक्रय हेतु प्रस्तावित करेगा;

(3) यह अपेक्षा कि आवंटन-पत्र की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर विक्रय-संविदा पूर्ण कर ली जानी चाहिए;

(4) यह अपेक्षा कि यदि उपर्युक्तानुसार कोई विक्रय-संविदा संपन्न नहीं होती है, तो आवंटन-पत्र समिति को लौटा दिया जाना चाहिए; तथा

(5) यह तथ्य कि माल की आपूर्ति आवंटन-पत्र के अधीन आवंटित कोटे के विरुद्ध स्पष्ट रूप से की गई थी।

यह निर्विवाद है कि संख्या 3124 वाला आवंटन-पत्र 7 नवम्बर, 1963 को जारी किया गया था और उसके अनुसार अपीलकर्ता को उसमें उल्लिखित कृत्रिम रेशम के धागे की मात्रा को, विचाराधीन माल की आपूर्ति के लिए क्रेता द्वारा अपीलकर्ता से अनुरोध किए जाने की

प्रतीक्षा किए बिना ही, सात दिनों के भीतर क्रेता को विक्रय हेतु प्रस्तावित करना था। उक्त आवंटन-पत्र में यह परिकल्पना की गई थी कि उसके निर्गमन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर एक विक्रय-संविदा पूर्ण की जानी थी। विचाराधीन चालान में आवंटन-पत्र की संख्या भी अंकित थी। दिनांक 23 मई, 1964 के पत्र में अभिकर्ता ने अपीलकर्ता से अनुरोध किया था कि वह क्रमांक 5829, 8479 तथा 8505 वाले केसों को सिरुमुगई से लॉरी द्वारा प्रेषित करे और उक्त केस बाद में निर्विवाद रूप से 3 जून, 1964 को क्रेता को परिदत्त कर दिए गए थे। ये तथ्य समष्टिगत रूप से यह संकेत करते हैं कि विचाराधीन माल को अपीलकर्ता के कारखाना-स्थल से बंबई इस उद्देश्य से परिवहित किया गया था कि उसे आवंटन-पत्र की शर्तों के अनुसार स्थापित विक्रय-संविदा के परिणामस्वरूप क्रेता को परिदत्त किया जा सके।

तथापि, अपीलकर्ता की ओर से इस न्यायालय के *टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त, जमशेदपुर एवं एक अन्य*[1], के निर्णय पर अवलंबन किया गया और यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बंबई स्थित अपीलकर्ता के अभिकर्ता द्वारा किए गए विक्रय को तमिलनाडु राज्य से महाराष्ट्र राज्य अथवा गुजरात राज्य, जैसा भी मामला हो, तक माल के संचलन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं माना जा सकता। उक्त वाद के तथ्य वर्तमान वाद के तथ्यों से भिन्न हैं, क्योंकि उस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्माता द्वारा, जो उस वाद में अपीलकर्ता था, अपनाई गई प्रक्रिया तथा क्रेताओं द्वारा दिए गए किसी दृढ़ आदेश के अभाव से यह संकेत मिलता था कि अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ में कोई विक्रय-लेन-देन अस्तित्व में नहीं था और यह मान भी लिया जाए कि अपीलकर्ता को कोई दृढ़ आदेश प्राप्त हुए थे, तब भी उन्हें मात्र प्रस्तावों से अधिक कुछ नहीं माना जा सकता था। उस वाद में इस न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया था कि माल का विनियोजन उस राज्य में स्थित अपीलकर्ता के भंडार-प्रांगण में किया गया था, जहाँ से वाहन क्रेताओं को परिदत्त किए जाते थे, और उस समय तक अपीलकर्ता के

---

1 (1) [1970] 26 एस.टी.सी. 354.

लिए यह खुला था कि वह किसी भी वाहन को किसी भी क्रेता को आवंटित कर दे अथवा किसी वाहन को एक भंडार-प्रांगण से दूसरे भंडार-प्रांगण में स्थानांतरित कर दे। उस वाद में विद्यमान एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति यह थी कि ऐसे किसी दृढ़ आदेश का अभाव था, जिसके कारण बिहार राज्य से अन्य राज्यों को माल का संचलन हुआ हो, जैसा कि उस निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट होता है :

> "जहाँ तक तथाकथित दृढ़ आदेशों का संबंध है, यह पहले ही इंगित किया जा चुका है कि प्रासंगिक निर्धारण अवधियों के संबंध में ऐसे किसी आदेश के अस्तित्व का प्रदर्शन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलकर्ता को ऐसे कोई आदेश प्राप्त हुए थे, तब भी प्रदर्श 1 (व्यौहारिता करार) की विशिष्ट शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें मात्र प्रस्तावों से अधिक कुछ नहीं माना जा सकता था, क्योंकि उक्त करार के अनुसार ऐसे आदेश के प्रत्युत्तर में अपीलकर्ता के लिए यह खुला था कि वह व्यौहारी को कोई वाहन आपूर्ति करे अथवा न करे।"

वर्तमान वाद में आवंटन-पत्र की शर्तों के अनुसार पूर्ववर्ती विक्रय-संविदा के अस्तित्व का स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है। यह तथ्य कि उक्त विक्रय-संविदा के अनुसरण में वास्तविक विक्रय बाद में संपन्न हुआ, इस लेन-देन को अधिनियम की धारा 3(क) के अधीन अंतर्राज्यीय विक्रय माने जाने के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि क्रेता को परिदत्त माल का संचलन उस विक्रय-संविदा के कारण हुआ था, जो आवंटन-पत्र की शर्तों के अधीन अस्तित्व में आई थी। तथापि, यह मंद रूप से सुझाया गया कि आवंटन-पत्र के निर्गमन के इक्कीस दिनों के भीतर अपीलकर्ता और आवंटी के मध्य जो कुछ घटित हुआ, उसके संबंध में इस वाद में साक्ष्य का अभाव है। इन तथ्यों का साक्ष्य अपीलकर्ता के ज्ञान के भीतर था और अपीलकर्ता ने उसे निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। यह संभावित है कि यदि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया होता, तो वह अपीलकर्ता के प्रतिकूल जाता। इसके अतिरिक्त भी, निर्धारण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, अधिकरण तथा उच्च न्यायालय द्वारा आवंटन-पत्र की शर्तों

तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभिलिखित यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता और कृत्रिम रेशम के धागे के आवंटी के मध्य निर्धारित अवधि के भीतर एक विक्रय-संविदा अस्तित्व में थी, आक्षेपातीत है। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता *टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड* (उपरोक्त) के वाद से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकता।

अपीलकर्ता द्वारा अवलंबन किया गया इस न्यायालय का *केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य*[2] का निर्णय भी इस वाद पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। उस वाद में निर्धार्यी का हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में एक कारखाना था, जहाँ वह रेफ्रिजरेटरों का विनिर्माण करता था और अपने द्वारा विनिर्मित माल को दिल्ली स्थित अपने गोदाम में भेजता था। ऐसे संचलन के लिए प्रयुक्त उत्पाद शुल्क पारपत्र सदैव स्वयं उसके पक्ष में होता था। माल के परिवहन के दौरान निर्धार्यी दिल्ली में माल लाए जाने पर देय चुंगी का भुगतान करता था। दिल्ली में निर्धार्यी अपने वितरकों को माल का विक्रय करता था। उस न्यायालय ने अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि निर्धार्यी और उसके वितरकों के मध्य पूर्ववर्ती वितरण करार विद्यमान थे, तथापि विचाराधीन माल को उन करारों के अनुसरण में फरीदाबाद से दिल्ली नहीं भेजा गया था और इसलिए वह अंतर्राज्यीय विक्रय नहीं था।

तथापि, इस वाद के तथ्य *इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अन्य*[3] के वाद के तथ्यों से अत्यंत साम्य रखते हैं। उस वाद में भी निर्धार्यी का कारखाना तमिलनाडु राज्य में था। उसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में था, किन्तु उसकी शाखाएँ मद्रास, बंबई तथा अन्य स्थानों पर थीं। उस वाद में एक बंबई क्रेता ने अपीलकर्ता की बंबई शाखा को पत्र लिखकर तमिलनाडु स्थित कारखाने में विनिर्मित

2[1973] 32 एस.टी.सी. 629.

3[1976] 38 एस.टी.सी. 475.

किए जा रहे माल के संबंध में न्यूनतम मूल्य-उद्धरण की माँग की थी। बंबई शाखा तथा मद्रास शाखा के मध्य कुछ पत्राचार होने के पश्चात् बंबई शाखा ने आवश्यक सभी विवरण देते हुए बंबई स्थित क्रेता को पत्र लिखा। इसके पश्चात् बंबई स्थित क्रेता ने कुछ माल के लिए बंबई शाखा को आदेश दिया। बंबई शाखा ने बंबई स्थित क्रेता द्वारा दिए गए आदेश की सूचना मद्रास शाखा को दी। मद्रास शाखा से चालान प्राप्त होने पर बंबई शाखा ने बंबई स्थित क्रेता को लिखा कि उसके द्वारा माँगे गए माल में से कुछ माल प्रेषण के लिए तैयार है और उसने प्रेषण संबंधी निर्देश माँगे। ऐसे निर्देश प्राप्त होने पर बंबई शाखा ने मद्रास शाखा से माल बंबई भेजने के लिए कहा। रेलवे रसीदें बंबई शाखा के माध्यम से भेजी गईं। माल का परिदान समाशोधन अभिकर्ताओं के माध्यम से बंबई स्थित क्रेता को किया गया और बीमा प्रभार बंबई स्थित क्रेता से वसूल किए गए। निर्धार्यी ने निर्धारण कार्यवाही में यह दावा किया कि उक्त विक्रय अंतर्राज्यीय विक्रय नहीं था, बल्कि ऐसा विक्रय था जो बंबई शाखा और बंबई स्थित क्रेता के मध्य बंबई में संपन्न हुआ था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ उक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया था :-

"वर्तमान वाद में अपीलकर्ता ने माल को मद्रास शाखा के कारखाने से सीधे बंबई स्थित क्रेता को भांडुप, बंबई में भेजा था। रेलवे रसीद परिदान के विरुद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बंबई शाखा के नाम पर थी। बंबई स्थित क्रेता को भेजे गए माल को अन्यत्र मोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जब माल का एक राज्य से दूसरे राज्य तक संचलन संविदा की एक घटना होता है, तब वह अंतर्राज्यीय विक्रय के अनुक्रम में किया गया विक्रय होता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि माल में स्वामित्व किस राज्य में अंतरित होता है। निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या विक्रय ऐसा है जो माल के एक राज्य से दूसरे राज्य तक संचलन का कारण बनता है। अंतर्राज्यीय संचलन विक्रय-संविदा में निहित किसी अभिव्यक्त अथवा विवक्षित प्रसंविदा का परिणाम अथवा संविदा की एक घटना होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है

कि माल का अंतर्राज्यीय संचलन होने से पूर्व ही विक्रय संपन्न हो चुका हो, ताकि यह माना जा सके कि विक्रय ने ऐसे संचलन का कारण उत्पन्न किया। यह भी आवश्यक नहीं है कि किसी विक्रय को अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में संपन्न हुआ माना जाने के लिए अंतर्राज्यीय संचलन से संबंधित प्रसंविदा स्वयं संविदा में विनिर्दिष्ट की गई हो। यदि संचलन विक्रय-संविदा के अनुसरण में तथा उसकी आनुषंगिक घटना के रूप में हुआ हो, तो वही पर्याप्त होगा।

जब किसी कंपनी की कोई शाखा किसी क्रेता के आदेश को कंपनी के प्रधान कारखाने को अग्रेषित करती है और उसे माल सीधे क्रेता को प्रेषित करने का निर्देश देती है तथा उन निर्देशों के अनुसार माल क्रेता को भेज दिया जाता है, तब वह कारखाने और उसकी शाखा के मध्य किया गया विक्रय नहीं होगा। यदि माल के संचलन और क्रेता की संविदा के बीच कोई परिकल्पनीय संबंध विद्यमान हो, और यदि अंतर्राज्यीय संचलन के क्रम में माल केवल क्रेता तक पहुँचने तथा उसकी क्रय-संविदा की संतुष्टि के लिए ही संचलित हो रहा हो और ऐसा संबंध अन्यथा स्पष्टीकरणीय न हो, तो विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित माल का ऐसा विक्रय अथवा क्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में संपन्न हुआ माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे विक्रय अथवा क्रय ने माल के एक राज्य से दूसरे राज्य तक संचलन का कारण उत्पन्न किया है। विक्रेता के स्वयं के प्रतिनिधि अथवा शाखा कार्यालय जैसे मध्यवर्ती साधनों की उपस्थिति, जिन्होंने संविदा का प्रारंभ किया हो, स्थिति को भिन्न नहीं बनाती। परिदान वाले राज्य में विक्रेता की ओर से किसी ज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा मध्यवर्ती हस्तक्षेप तथा संविदा के क्रियान्वयन से पूर्व या पश्चात् उस व्यक्ति की गतिविधियाँ भी विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करतीं।"

वर्तमान वाद में आवंटन-पत्र सर्वप्रथम नवम्बर, 1963 में भेजा गया था, जिसमें अपीलकर्ता को यह अपेक्षा की गई थी कि वह सीधे आवंटी को माल का प्रस्ताव करे। आवंटी

से यह अपेक्षा थी कि वह आवंटन-पत्र की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर माल क्रय करने की अपनी इच्छा का संसूचन करे। ऐसे संसूचन के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता और क्रेता के मध्य प्रत्यक्ष रूप से एक विक्रय-संविदा अस्तित्व में आ जाती थी। यह निर्विवाद है कि माल उक्त विक्रय-संविदा के अनुसरण में प्रेषित किया गया था। बाद की अवस्था में विक्रय अभिकर्ता का हस्तक्षेप, जिसने अपीलकर्ता की ओर से चालान तैयार करने तथा माल के परिदान का कार्य किया, विक्रय के वास्तविक स्वरूप को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि विक्रय अभिकर्ता मात्र एक माध्यम था। चूँकि माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसी विक्रय-संविदा के अनुसरण में प्रेषित किया गया था, जो आवंटन-पत्र की तिथि के कुछ दिनों के भीतर अपीलकर्ता और क्रेता के मध्य प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व में आ गई थी, अतः वह विक्रय एक अंतर्राज्यीय विक्रय था। अतः अधिकरण तथा उच्च न्यायालय, दोनों ही, गुजरात तथा महाराष्ट्र में स्थित निर्यात संवर्धन योजना के कार्डधारकों के पक्ष में संपन्न हुए सभी विक्रयों पर अधिनियम के अधीन कर अधिरोपित करने वाले निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों को यथावत् बनाए रखने में सही थे, यद्यपि बंबई में स्थित अपीलकर्ता का विक्रय अभिकर्ता भी अपीलकर्ता की ओर से ऐसे कार्डधारकों के साथ बंबई में व्यवहार करता था, क्योंकि विचाराधीन लेन-देन *इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड* (उपरोक्त) के वाद में प्रतिपादित कसौटियों को संतुष्ट करते थे।

परिणामस्वरूप, अपीलें विफल होती हैं और व्यय सहित खारिज की जाती हैं।

पी. बी. आर. *अपीलें खारिज की जाती हैं।*

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।